न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 04/2025 आवंटन निरस्ती

GCMS No. 2025/90

रूपा पिता श्री धना मेघवाल निवासी: छीपाला, तहसील–गोगुन्दा, उदयपुर

— **प्रार्थी**

बनाम

1. मांगीलाल पिता स्व. डाऊ भील निवासी: नालोदर, भीलडाया रावलियाकलां, तहसील–गोगुन्दा, उदयपुर
2. चेनाराम पिता स्व. डाऊ भील निवासी: नालोदर, भीलडाया रावलियाकलां, तहसील–गोगुन्दा, उदयपुर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, उदयपुर

— **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 आवंटन क्रमांक 3305 दिनांक 12.08.1977

उपस्थित: 1. श्री हिमांशु सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दिलीप शर्मा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक:– 13/05/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम पांचावतों की भागल, पटवार हल्का भुताला, तहसील–बड़गांव, उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 2824/47 रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। उक्त भूमि को बिना किसी विधिवत घोषणा के दिनांक 12.08.1977 को आवंटन संख्या 3305 द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. डाऊ भील के नाम पर गैर तरीके से आवंटन कर दी गई जबकि उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता एवं स्वयं विपक्षी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा रहा ही नहीं है। उक्त आराजीयात भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि होकर पुरा एक चक हो मौके पर खेत बना रखा है और फसल बो रखी है। बिना तथ्यों की जानकारी किये राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर गैर कानुनी तरीके से उक्त वर्णित आराजीयात भूमि को स्व. डाऊ पिता लछा भील के नाम आवंटित कर केवल कागजों

जिला कलक्टर
उदयपुर

में ही भूमि की सुपूर्दगी बताई गई है, जिससे स्व. डाऊ पिता लछा भील के हक में किया गया आवंटन एवं नामांतरकरण निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर स्थानांतरित हो प्राप्त होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को सूचित किया जाकर तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पांचावतों की भागल, पटवार हल्का भुताला, तहसील–बड़गांव, उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 2824/47 रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि बिना तथ्यों की जानकारी किये राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर गैर कानुनी तरीके से स्व. डाऊ पिता लछा भील के नाम दिनांक 12.08.1977 को आवंटित किया गया। तत्कालीन पटवारी हल्का भुताला द्वारा गलत तरीके से सुपूर्दगी नाम तैयार कर तत्कालीन तहसीलदार नाथद्वारा के समक्ष पेश किया गया जबकि उक्त दिनांक को कभी भी मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. डाऊ को कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया ना ही मौके पर स्व. डाऊ एंवं उसके परिवार विपक्षी संख्या 1 व 2 का कभी कब्जा रहा है। मौके पर फसल प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा बोई जा रही है। वर्तमान में उक्त आराजीयात भूमि स्व. डाऊ पिता लछा भील के नाम खाते दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 आये दिन प्रार्थी को परेशान कर रहे है एवं भूमि दलालों के बहकावें में आकर उक्त आराजीयात भूमि को जबरन बिकाव एवं खुर्द–बुर्द करने को आमादा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके परिवार का कब्जा हो शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 आवंटन से पूर्व एवं बाद आवंटन कभी कब्जा नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। दिनांक 18.07.2023 को विपक्षी संख्या 1 व 2 ने मौके पर आकर प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा किया एवं जबरन मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि से जरिये असामाजिक तत्वों के माध्यम से बेदखल करने एवं झूठा प्रार्थना पत्र सायरा थाने में देकर प्रार्थी को परेशान किया जाने लगा। तब राजस्व रेकर्ड व आवंटन पत्र निकलवानेपर पता चला कि उक्त आराजीयात भूमि गलत तरीके से विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. डाऊ भील के नाम आवंटित हो गई है जबकि उक्त आराजीयात पर ना तो विपक्षी संख्या 1 व 2 स्वयं एवं ना ही उनके पिता स्व. डाऊ का कभी कब्जा रहा है। स्व. डाऊ पिता लछा भील ने राजस्व अधिकारियों को गलत तथ्य बताकर उपरोक्त आराजी का विधि विरूद्ध आवंटन करवाया गया है जो पूर्णतया गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा पांचावतों की भागल, पटवार क्षेत्र भुताला तहसील बड़गांव, उदयपुर की आराजीयात भूमि के आवंटन संख्या 3305 दिनांक 12.08.1977 को अविलम्ब निरस्त फरमाया जाकर पुनः बिलानाम खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विपक्षीगण की बहनों व स्व. डाऊ गमेती की पुत्रियों कमली बाई व हगामी बाई को

जिला कलक्टर
उदयपुर

पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथन प्रार्थी ने गलत अंकित किये है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता श्री चेतन वैष्णव द्वारा विपक्षी संख्या 1 को एक पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 05.07.2023 को प्रेषित करवाया गया जिसमें जमीन को बाउण्ड पत्र के माध्यम से विपक्षीगण के पिता से खरीदना बताया जिसका जवाब विपक्षीगण संख्या 1 ने अपने अधिवक्ता श्री फतेहसिंह राठौड द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को भेजा गया। जिसमें बाउण्ड प्रति की जानकारी मांगी गई। लेकिन प्रार्थी ने आज दिनांक तक न तो विपक्षीगण को कोई बाउण्ड पत्र भेजा ना ही न्यायालय मे प्रार्थना पत्र की कोई जानकारी पेश की गई। प्रार्थी द्वारा 49 वर्षो बाद आवंटन निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया लेकिन विलम्ब का कोई उचित कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुतं नहीं किया गया जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पांचावतों की भागल, पटवार हल्का भुताला, तहसील–बड़गांव में स्थित आराजी संख्या 2824/47 रकबा 0.1391 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण का परिवार काश्त कर रहा है उक्त भूमि पर विपक्षीगण ही काबिज है। प्रार्थी उक्त भूमि को जबरन दवाब डालकर खरीदना चाह रहा है लेकिन विपक्षीगण उक्त भूमि को बेचना नहीं चाहता है इसलिए झूठे मनगंढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण के पिता स्व. डाऊ भील के नाम पर आवंटित की गई वो सही तरीके से व विधिवत आवंटित की गई है। विपक्षीगण के पिता स्व. डाऊ भील द्वारा ही उक्त कृषि भूमि पर खेती की जा रही थी और राजस्व अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही कर व मौके की जांच कर विपक्षीगण के पिता के नाम पर भूमि का आवंटन किया गया जो सही है। पटवारी हल्का द्वारा जो सुपूर्दगीनामा तैयार किया गया व तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया वो सही एवं मौके की जांच कर तैयार किया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगणों को जबरन दबाव डालकर जमीन लेना चाह रहा है जिससे परेशान होकर विपक्षीगण ने दिनांक 20.06.2023 को प्रार्थी रूपा मेघवाल के पुत्र भग्गा, पप्पु व रूपा के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को परिवाद पेश किया लेकिन फिर भी प्रार्थी व उसके पुत्र आज दिन तक विपक्षीगण को जान से मारने की धमकियां देते है और जबरन विपक्षीगण के उपर दबाव बना रहे है कि जमीन का विक्रय कर दो। प्रार्थी का उक्त जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी के पुत्र उक्त जमीन विपक्षीगण से जबरन हड़पना चाह रहे है। वर्तमान में उक्त भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा है। प्रार्थी द्वारा अपने अपने अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पंजीकृत सूचना पत्र भिजवाना गया उसमें 200 रुपयें में जमीन खरीदना बताया जिसका जवाब भी विपक्षीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाया लेकिन उक्त नोटिस का हवाला माननीय न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र में नहीं कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। डाऊ भील के नाम से जो आवंटन किया गया है उसे

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 04/25 आवंटन निरस्ती
रूपा बनाम मांगीलाल
GCMS No. 2025/90

झूठे मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी खारिज करवाना चाहता है क्योंकि प्रार्थी की नजर विपक्षीगण की जमीन पर है यदि आवंटन बिना साक्ष्य व सबूत के आधार पर खारिज किया जाता है तो विपक्षीगण का अपूरणीय क्षति होगी और प्रार्थी अपने मंसूबों में कामयाब हो जायेगा। स्व. डाऊ भील के नाम से जो आवंटन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया वो सही एवं विधि पूर्व सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर किया गया। शुरू से ही उक्त जमीन पर स्व. डाऊं भील का कब्जा रहा है और आज 47 वर्ष बाद उक्त आवंटन को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र बिना कोई तथ्य प्रकट किये पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां व जवाब तथा दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि स्व. डाऊ पिता लछा भील के नाम गैर तरीके से आंवटन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश अनुसार भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की सहमति पश्चात 12.08.77 को नियमानुसार आवंटन किया गया है। विपक्षी के नाम किस तरह से गैर तरीके से आंवटन हुआ है प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है अतः प्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का वर्षो से उक्त आराजी पर कब्जा है परन्तु पत्रावली पर कब्जे सम्बन्धी कोई तथ्य/प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध नही है। राजस्व ग्राम पांचावतो की भागल पटवार हल्का भूताला तहसील बड़गांव की आराजी संख्या 2824/47 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खातेदार कमलीबाई, चेनाराम, मांगीलाल, हगामी जो कि डाऊ के वारिसान है, मे से चेनाराम एवं मांगीलाल को पक्षकार बनाया गया है जबकि सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना था। सब–डिवीजनल ऑफिसर, उदयपुर द्वारा वर्ष 1977 में आवंटन किया गया था जबकि वर्ष 2023 में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, लगभग 45 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ना तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और ना ही अपने प्रार्थना पत्र में कोई औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय आवंटन पत्रावली 3305/77 उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर